# कृषि में उद्यमिता विकास की अपार संभावनाएं

– डा. जगदीप सक्सेना

कृषि में उद्यमिता के विकास के कारण सामान्य कृषक को 'उत्पादक' से 'उद्यमी' बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और समस्त कृषक समुदाय के आर्थिक सशक्तीकरण के नये द्वार खुले हैं। भारत सरकार ने किसानों सहित ग्रामीण समाज की आजीविका में सुधार और प्रति व्यक्ति प्रति दिन आमदनी में वृद्धि के लिए कृषि उद्यमिता के विकास को एक प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र माना है और इसके लिए गहन प्रयास भी किए जा रहे हैं। उद्यमों को स्थापित करने संबंधी नीतियों में यथोचित बदलाव करके इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के अनुकूल बनाया जा रहा है। हाल के वर्षों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन/उत्पादकता में हुई रिकॉर्ड वृद्धि ने भी कृषि उद्यमिता के विकास में एक अहम् और सकारात्मक भूमिका निभाई है। कृषि उद्यमिता के लिए आवश्यक बुनियादी सेवाओं के विकास से ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों में तेज़ी और मज़बूती आई है। इसलिए कृषि उद्यमिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रमुख उत्प्रेरक एवं संवाहक के रूप में भी देखा जा रहा है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय कृषि के परिदृश्य में एक तेज, प्रभावी और क्रांतिकारी बदलाव आया है। कृषि अपने परम्परागत 'खेत–खलिहान' के दायरे से आगे निकलकर व्यवसाय और उद्यम के क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। कृषि से जुड़े सभी सम्बद्ध क्षेत्रों, जैसे पशुपालन, फिशरीज़, डेयरी, पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन, कृषि बाज़ार, यंत्रीकरण आदि, में भी उद्यमिता ने अपने पाँव जमा लिए हैं। नवाचार (इनोवेशन), अग्रणी वैज्ञानिक तकनीकों, आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी), नवीकरणीय ऊर्जा, एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) जैसी सेवाओं के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में अनेक गैर–परम्परागत उद्यम स्थापित किए जा रहे हैं, जो कृषि को अधिक लाभदायक, आकर्षक और सतत् बनाने में सहायक हैं।

कृषि में उद्यमिता के विकास के कारण सामान्य कृषक को 'उत्पादक' से 'उद्यमी' बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही, तकनीकी रूप से कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्ति भी अपने नए विचारों या नवाचारों के माध्यम से लीक से हटकर कृषि उद्यम स्थापित कर रहे हैं। कृषि उद्यमिता के दायरे में ऐसे सभी छोटे–बड़े उद्यम शामिल हैं, जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से किसी कृषि या पशु उत्पाद पर निर्भर हैं या कृषि क्षेत्र में कोई सेवा प्रदान करते हैं, जैसे कृषि बाज़ार, वितरण, यंत्रीकरण सुविधा, सूचना प्रसार, कृषि विस्तार आदि।

उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और समस्त कृषक समुदाय के आर्थिक सशक्तीकरण के नए द्वार खुले हैं।

भारत सरकार ने किसानों सहित ग्रामीण समाज की आजीविका में सुधार और प्रति व्यक्ति प्रति दिन आमदनी में वृद्धि के लिए कृषि उद्यमिता के विकास को एक प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र माना है और इसके लिए गहन प्रयास भी किए जा रहे हैं। उद्यमिता के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे में सुधार, आर्थिक सहायता/प्रोत्साहन, तकनीकी मार्गदर्शन, बाज़ार से संपर्क, कौशल विकास और संस्थागत सहयोग जैसे अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जिन्हें सुव्यवस्थित योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से देश भर में लागू किया जा रहा है।

उद्यमों को स्थापित करने संबंधी नीतियों में यथोचित बदलाव करके इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के अनुकूल बनाया जा रहा है। हाल के वर्षों में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में उत्पादन/उत्पादकता में हुई रिकॉर्ड वृद्धि ने भी कृषि उद्यमिता के विकास में एक अहम् और सकारात्मक भूमिका निभाई है। कृषि उद्यमिता के लिए आवश्यक बुनियादी सेवाओं के विकास से ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों में तेज़ी और मज़बूती आई है। इसलिए कृषि उद्यमिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रमुख उत्प्रेरक एवं संवाहक के रूप में भी देखा जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था पर भी कृषि उद्यमिता के सार्थक और सकारात्मक प्रभावों को देखा गया है।

### विकास का आधार, अवसर अपार

हमारे देश में कृषि उद्यमिता का दायरा भारतीय कृषि की तरह अत्यंत व्यापक और विविधतापूर्ण है। कृषि से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं और विधियों में आधुनिक तकनीकों के उपयोग ने कृषि उद्यमिता के लिए अपार अवसर उत्पन्न किए हैं। आधुनिक सूचना एवं संचार तकनीकों (आईसीटी) तथा एआई के अनुप्रयोग ने मृदा जाँच एवं उपचार जैसी प्राथमिक कृषि क्रिया में अनेक उद्यमों को प्रेरित किया है। खेत में ही मृदा की तेज़ और सटीक जांच करने वाली संवेदी व संवहनीय युक्तियां या 'किट' विकसित की गई हैं, जिनका अनेक उद्यमों द्वारा व्यावसायिक उत्पादन किया जा रहा है। मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से सीधे किसानों के मोबाइल फोन पर जाँच के नतीजे पहुंचा दिए जाते हैं, और तदनुसार उपचार की सिफारिश भी की जाती है। आज देश में अनेक एग्री–स्टार्टअप इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और व्यावसायिक रूप से सफल हैं।

भूमि की तैयारी के समय खाद व उर्वरक की आवश्यकता को उचित मूल्य और गुणवत्ता की गारंटी के साथ पूरा करने के लिए अनेक 'ऑफ–लाइन' और 'ऑन–लाइन' उद्यम स्थापित किए गए हैं। खाद व उर्वरक की बढ़ती मांग के कारण अधिकांश उर्वरक उत्पादक कम्पनियां गाँव के स्तर पर अपने विक्रय केंद्र खोल रही हैं, जिससे ग्रामीण युवाओं के लिए उद्यमिता व रोज़गार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। हाल के वर्षों में उर्वरकों की श्रृंखला में अनेक नए नाम जुड़े हैं, जैसे वर्मी कम्पोस्ट, जैविक उर्वरक, तरल जैव उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक, नैनो उर्वरक आदि। इनके व्यावसायिक उत्पादन के लिए विशिष्ट इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा मिला है।

हाल के वर्षों में बीजों के परम्परागत व्यवसाय में एक बड़ा बदलाव आया है, अब किसान बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए फसलों की अधिक उपजशील किस्मों के प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग करना चाहते हैं। इसी क्रम में संकर बीजों का उत्पादन और मांग भी तेज़ी से बढ़ रही है। देश भर में उन्नत व संकर बीजों के उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री के व्यवसाय ने तेज़ी से उभरते उद्योग का रूप ले लिया है। भारत सरकार द्वारा देश के अनेक भागों में विशिष्ट 'सीड हब' स्थापित किए जा रहे हैं, जिनसे ग्रामीण उद्यमिता को बल मिला है। सिंचाई की आधुनिक विधियों, जैसे 'ड्रिप', 'स्प्रिंकलर' और 'फर्टिगेशन' ने सिंचाई प्रणाली के निर्माण, स्थापना और देखरेख का एक नया व्यावसायिक क्षेत्र विकसित किया है। इसके अंतर्गत आईटी और एआई पर आधारित नए उद्यम स्थापित किए जा रहे हैं, जो सेंसर्स की सहायता से सिंचाई की आवश्यकता को आंकलित करके सिंचाई प्रणाली का संचालन और नियमन करते हैं।

हाल में सोलर सिंचाई प्रणाली के विकास ने भी उद्यमिता के नए अवसर उत्पन्न किए हैं। भूमि में नमी को संरक्षित रखने वाले 'हाइड्रोजेल' एक नवाचार के रूप में सामने आए हैं और इनका व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है। आधुनिक तकनीकों और उद्यमिता के मेल से सटीक खेती ('प्रेसीज़न फार्मिंग') नामक एक नई कृषि विधि विकसित हुई है, जो फसल के लिए आवश्यक सभी संसाधनों (पानी, खाद, उर्वरक, फसल सुरक्षा रसायनों आदि) का कुशल और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करती है। इसके लिए अनेक उद्यमों द्वारा उपयोगी तकनीकी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे सेंसर्स, रिमोट सेंसिंग, एआई, ऑटोमेशन, आईटी आदि। इसी क्रम में प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, संरक्षित खेती आदि की बढ़ती लोकप्रियता ने भी व्यावसायिक संभावनाएं उत्पन्न की हैं।

हाल के वर्षों में कृषि यंत्र, उपकरण और मशीनों के निर्माण और उपयोग के क्षेत्र में तेज विकास हुआ है। अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से बड़ी संख्या में ऐसे छोटे–बड़े उपकरण विकसित हुए हैं, जो बैटरी चालित या सौर ऊर्जा चालित हैं और आईटी, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग करते हैं। इनके प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किसानों को मशीनों की खरीद पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

एक विशेष अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में *कस्टम हायरिंग सेंटर्स* खोलने की शुरुआत की गई है, जहां किसानों, विशेषकर छोटे किसानों को, उचित शुल्क या किराये पर कृषि मशीनें उपलब्ध करायी जाती हैं। ग्रामीण युवाओं/किसानों, पंजीकृत कृषक समितियों, कृषक उत्पादक संगठनों और ग्राम पंचायतों को कृषि मशीनें खरीद कर *कस्टम हायरिंग सेंटर्स* खोलने के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ग्रीनहाउस फार्मिंग

इसी तरह कृषक सम्बद्ध संस्थाओं को ग्राम–स्तरीय *फार्म मशीनरी बैंक* स्थापित करने के लिए भी वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इन उपायों ने कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में उद्यमिता की असीम संभावनाएं उत्पन्न कर दी हैं। दूसरी ओर, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में तकनीकों के माध्यम से बड़ा बदलाव आया है, जो उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है।

खेत के स्तर पर मुख्य रूप से सब्जियों एवं फलों के प्राथमिक प्रसंस्करण (फार्म गेट प्रासेसिंग) की सुविधाएं दी गई हैं, जबकि बड़े पैमाने पर व्यावसायिक प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई हैं। देश में फसलों और अन्य वनस्पतियों की अपार सम्पदा का लाभ उठाते हुए अनेक गैर–परम्परागत फसलों से मूल्यवर्धित खाद्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी घरेलू बाज़ार से लेकर अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक में मांग है। इस शृंखला में 'फंक्शनल फूड', 'न्यूट्रास्यूटिकल्स', 'हेल्थ सप्लीमेंट्स', 'प्रो–बायोटिक्स' जैसे नए उत्पाद जुड़े हैं, जिनसे एक नया बाज़ार और उद्यमिता का द्वार खुला है।

**प्रधानमंत्री किसान सम्पदा** नामक महत्त्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत देश भर में मेगा फूड पार्क और खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर्स स्थापित किए जा रहे हैं। उत्पादों के मूल्यवर्धन और इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन के विकास के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही, खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण (प्रिज़र्वेशन) की क्षमताओं में वृद्धि के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। *एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड* इसी शृंखला की एक कड़ी है, जिसके अंतर्गत कृषि उत्पादन से लेकर कटाई उपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण, भंडारण, सप्लाई चेन आदि के लिए उद्यमियों को आसान शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाता है। विभिन्न कृषि आदानों की उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए भी आसान ऋण का प्रावधान है।

**एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर** उप–योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था है। बागवानी फसलों के कटाई–उपरांत प्रबंधन और शीत भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है।

कृषि की तर्ज पर डेयरी के क्षेत्र में भी *डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड* का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत दूध के प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। डेयरी के क्षेत्र में उद्यमिता के विकास की अनेक संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार द्वारा **डेयरी उद्यमिता विकास योजना** लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ग्रामीण युवाओं और डेयरी किसानों को वित्तीय सहायता देकर स्वरोज़गार के लिए प्रेरित किया जाता है। इस योजना की सहायता से देश भर में दूध उत्पादन, खरीद, परिरक्षण, परिवहन और दूध की मार्केटिंग संबंधी उद्यम स्थापित किए जा रहे हैं। मात्स्यिकी (फ़िशरीज़) के क्षेत्र में उद्यमिता के विकास के लिए **फ़िशरीज़ एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड** के तहत बुनियादी सुविधाओं की स्थापना पर ज़ोर दिया जा रहा है। इसमें मछली पकड़ने और पालने से लेकर उनका सार–संभाल, भंडारण, परिवहन और मार्केटिंग तक की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

### नई राह, नई रफ्तार

कृषि/ग्रामीण उद्यमिता के तेज विकास और प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ विशेष योजनाएं चलायी जा रही हैं, जिनमें मुख्य रूप से कृषि स्टार्टअप्स को तकनीकी और वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। सरकार की बहुआयामी *राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार* के अंतर्गत नवाचार और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक तंत्र बनाया गया है, जिसके अंतर्गत कृषि स्टार्टअप्स को विचार से व्यवहार तक आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इनमें ऐसे स्टार्टअप्स भी शामिल हैं, जो डिजिटल तकनीकों के उपयोग से कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं। वर्तमान में मुख्य रूप से एग्रो–प्रोसेसिंग, फार्म यंत्रीकरण, पोस्ट– हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, डेयरी और फ़िशरीज़ के क्षेत्र में कृषि स्टार्टअप्स गठित किए जा रहे हैं। स्टार्टअप्स को संबंधित क्षेत्र में तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए सरकार ने पाँच संस्थानों को 'नॉलेज पार्टनर' के रूप में नामित किया है। ये संस्थान हैं

## कृषि उद्यमियों ने दिखाई नई राह

अपनी मेहनत, लगन, सूझबूझ और कौशल से देश भर में कृषि उद्यमिता की नई इबारत लिखी जा रही हैं। इनकी सफलता की कहानियां सराही और सम्मानित की जा रही हैं। साथ ही, ये उद्यमी अन्य ग्रामीणों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गए हैं।

- **धान की भूसी से कलाकृतियां :** धान की खेती करने वाले किसानों के लिए धान की भूसी एक 'वेस्ट' है, जिसे पर्यावरण–अनुकूल रूप से निपटाना एक चुनौती है। परंतु हाल के वर्षों में धान की भूसी से कलाकृतियां बनाने की कला तेज़ी से उभरी और निखरी है तथा इनकी बाज़ार माँग भी बन गई है। बिहार के ज़िला जहानाबाद के गाँव तेहटा के दम्पत्ती राजीव और सुनीता कुमारी ने इस कला को अपना कर एक सफल उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बनायी है। वह धान की भूसी से सुंदर दृश्यावली, वाल हैंगिंग, सजावट के सामान आदि बनाकर न केवल स्वयं सफलतापूर्वक अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं बल्कि 400 से अधिक महिलाओं एवं पुरुषों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। इनके नवाचार की विशिष्टता पुआल की आसान उपलब्धता और पर्यावरण के प्रति अनुकूलता है। गाँव में धान की भूसी की सुलभता एवं उपलब्धता ने उन्हें इस कला की ओर प्रेरित किया और जल्दी ही उन्होंने इस कला की बारीकियां सीख लीं। शुरुआत में गाँव वाले उनके इस काम का मज़ाक उड़ाते थे, परंतु अब वे आसपास के गाँवों में प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। राज्य सरकार तथा कई अन्य मंचों पर उन्हें पुरस्कृत/सम्मानित किया जा चुका हैं। धान की भूसी से 18x24 इंच आकार की एक वाल हैंगिंग बनाने पर लगभग 1200 रुपये का खर्च आता है, जो बाज़ार में लगभग 2,500 रुपये की बिक जाती है। इस तरह 1300 रुपये की शुद्ध आय होती है। यदि यह उद्यम बड़े पैमाने पर किया जाए तो प्रति यूनिट अधिक बचत संभव है।

- **मिनी दाल मिलः** महाराष्ट्र के लातूर ज़िले में तूर दाल की खेती बहुतायत में की जाती है। परंतु यहां के अधिकांश किसान दाल को बिना किसी प्रोसेसिंग के बाज़ार में बेचते हैं, जिससे अधिक कीमत नहीं मिल पाती। जबकि मिनी दाल मिल के रूप में एक विकसित प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जिसे घरेलू स्तर पर उपयोग किया जा सकता है। केवीके लातूर द्वारा मिनी दाल मिल के तकनीकी और व्यावसायिक पहलू पर कृषक महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और स्वयंसहायता समूहों के लिए सात–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ज़िले में कटगांव ग्राम की महिला किसान सुश्री जयश्री पाटिल ने ऐसा ही एक प्रशिक्षण प्राप्त करके मिनी दाल मिल की स्थापना की और अपनी दाल को 'सिंगल हॉर्स' ब्रांड नाम से बाज़ार में बेचना शुरू कर दिया। शुरूआती दिक्कतों के बाद उनकी दाल को गुणवत्ता और उचित कीमत के कारण अच्छा बाज़ार मिल गया। लातूर की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी कृषि मंडी में अपना स्टॉल लगाकर भी वो दाल बेचती हैं। इस दाल मिल से प्रति वर्ष उनकों 3.24 लाख रुपये की आय होती है। वह चार अन्य सहायकों को भी आजीविका उपलब्ध करा रही हैं। आसपास के अनेक किसान और कृषक समूह सुश्री जयश्री की दाल मिल देखने और इस व्यवसाय को संचालित करने के व्यावसायिक गुर सीखने आते हैं। केवीके लातूर द्वारा सुश्री जयश्री को 'मास्टर ट्रेनर' के रूप में नामित किया गया है और संबंधित प्रशिक्षण में इनकी सेवाएं ली जाती हैं। सुश्री जयश्री की सफलता से लातूर ज़िले के दाल उत्पादक गांवों में मिनी दाल मिल के व्यवसाय ने जड़ें जमा ली हैं। इससे बड़ी संख्या में किसानों की आय में सुधार हुआ है।

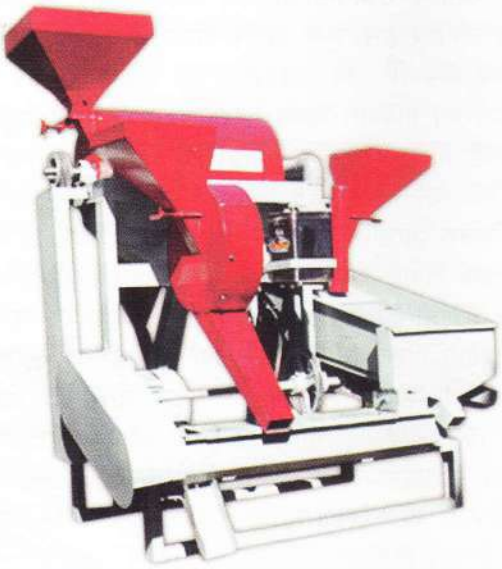

- राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद;
- राष्ट्रीय कृषि मार्केटिंग संस्थान, जयपुर;
- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली;
- कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़; और
- असम कृषि विश्वविद्यालय, ज़ोरहाट

योजना के अंतर्गत देश भर के अनेक तकनीकी संस्थानों में एग्रीबिज़नेस इनक्यूबेटर्स (आर–एबीआई) स्थापित किए गए हैं, जो संभावित उद्यमियों को स्टार्टअप्स की तकनीकी और व्यावसायिक बारीकियों से परिचित कराते हैं और आवश्यक धन जुटाने में भी सहायता करते हैं। संभावित उद्यमियों से प्राप्त विचारों/परियोजनाओं को उनकी व्यावहारिकता के आधार पर रखकर चुना जाता है और चुने गए स्टार्टअप्स उद्यमियों को दो महीने का कृषि उद्यमिता ओरिएंटेशन कोर्स कराया जाता है। इस दौरान 10 हजार रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। स्टार्टअप की रूपेरखा बनाने और प्रारम्भिक तैयारियों के लिए प्री–सीड स्टेज फंडिंग के रूप में पांच लाख रुपये तक की अनुदान राशि दी जाती है। इसके बाद सीड स्टेज फंडिंग के रूप में 25 लाख रुपये तक की ग्रांट देने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में लगभग 800 स्टार्टअप्स को तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर स्वावलम्बी बनाया गया है।

देश की शीर्ष अनुसंधान संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा गठित राष्ट्रीय कृषि इनोवेशन फंड के माध्यम से परिषद ने देश के 50 कृषि अनुसंधान संस्थानों में एग्री बिज़नेस इनक्यूबेटर्स स्थापित किए हैं। ये इनक्यूबेटर्स कृषि और कृषि तकनीकी स्टार्टअप्स को तकनीकी मार्गदर्शन और अन्य सहायता देकर अपने पैरों पर खड़ा करने का काम कर रहे हैं।

कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की अग्रणी भूमिका देखते हुए ग्रामीण महिलाओं को कृषि उद्यमिता अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है, ताकि वे अपना व्यवसाय अपने संबल से शुरू कर सकें।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित **दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** के अंतर्गत गांवों में स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से युवाओं और महिलाओं को गैर–कृषि उद्यमों में अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो एक श्रृंखला के रूप में निरंतर जारी रहते हैं। प्रत्येक प्रखंड के लिए स्वीकृत राशि से अधिकतम 2400 उद्यमियों को सहायता प्रदान की जा सकती है। देश के 23 राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों में अब तक 1.98 लाख उद्यमों को सहायता प्रदान की जा चुकी है।

मंत्रालय द्वारा जर्मन सरकार के सहयोग से महिला उद्यमियों तथा स्टार्टअप्स के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत एक ओर ग्रामीण महिलाओं को अपना उद्यम/स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, दूसरी ओर, छोटे स्तर पर अपना व्यवसाय चला रही महिलाओं को तकनीकी व आर्थिक सशक्तीकरण द्वारा अपने

व्यवसाय का स्तर बढ़ाने के लिए सहायता दी जाती है। वर्तमान में यह परियोजना महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलगांना, उत्तर प्रदेश और उत्तर–पूर्व क्षेत्र के आठ राज्यों में जारी है। लगभग 725 महिला उद्यमी इस परियोजना का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को समृद्ध बना रही हैं।

एकं अभिनव परियोजना के रूप में बैंकों द्वारा देश भर में कुल 588 ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं जो मुख्य रूप से वंचित ग्रामीण युवाओं को स्वरोज़गार के लिए प्रशिक्षित कर तैयार करते हैं। इस कार्यक्रम से अब तक 40 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें से 28 लाख से अधिक सफलतापूर्वक अपना रोज़गार चला रहे हैं और अन्य युवाओं को भी रोजगार दे रहे हैं।

कौशल विकास को कृषि उद्यमिता की सफलता के लिए आवश्यक मानते हुए भारत सरकार ने **एग्रीकल्चरल स्किल कौंसिल ऑफ इंडिया** का गठन किया है, जो मुख्य रूप से किसानों, दिहाड़ी मजदूरों, बेरोज़गार ग्रामीण युवाओं आदि का उनकी पसंद के उद्यम में कौशल विकास करती है। इसके लिए कौंसिल ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में 180 से अधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित किए हैं और ये सभी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। विभिन्न उद्यमों में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए कौंसिल ने देश के अनेक प्रतिष्ठित तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थानों के साथ साझेदारी विकसित की है, जिसका सीधा लाभ संभावित उद्यमियों को प्राप्त होता है।

वर्तमान में **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना** का तीसरा चरण (2020–22) जारी है, जिसके अंतर्गत आजीविका और स्वरोज़गार के लिए लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। **एग्री–क्लिनिक्स एंड एग्रीबिज़नेस सेंटर्स** नामक योजना प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के माध्यम से कृषि या जीव विज्ञान स्नातकों को उद्यमिता की ओर आकर्षित करती है और उन्हें रोज़गार ढूंढने वाला नहीं, बल्कि रोज़गार प्रदान करने वाला बनाती है।

एग्री–क्लिनिक्स एक विशेषज्ञ सलाहकार सेवा है, जिसमें किसानों को फसलों/बीजों के चुनाव से लेकर आधुनिक कृषि विधियों, फसल सुरक्षा उपायों और कटाई उपरांत प्रबंधन तक की प्रामाणिक जानकारी दी जाती है। दूसरी ओर, एग्रीबिज़नेस सेंटर्स में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों से जुड़े अनेक उद्यम शामिल हैं, जिन्हें कृषि स्नातक अपना सकता है। चुने गए कृषि स्नातकों के लिए राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद के माध्यम से संबंधित नोडल प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण एवं 'हैंड होल्डिंग की व्यवस्था की जाती है। दो माह के निःशुल्क प्रशिक्षण के बाद कृषि स्नातक को उसके उद्यम के अनुसार आसान बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की **वेंचर कैपिटल सहायता योजना** किसानों, स्वयंसहायता समूहों, कृषि उद्यमियों आदि को ब्याज मुक्त बैंक ऋण उपलब्ध कराती है। भारत सरकार की एक अन्य योजना **'एस्पायर'** का उद्देश्य नवाचार, ग्रामीण उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत आजीविका बिज़नेस इनक्यूबेटर्स स्थापित किए जाते हैं, जो संभावित उद्यमियों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्ग निर्देशन, वित्तीय प्रबंधन जैसी सहायता उपलब्ध कराकर उद्यम स्थापित करने में मदद करते हैं।

अब तक देश में 60 से अधिक इनक्यूबेटर्स स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें प्रशिक्षित अधिकांश युवा अपना स्वरोज़गार शुरू कर चुके हैं या किसी अन्य संबंधित उद्यम से जुड़कर अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं। केंद्र द्वारा प्रायोजित 'स्फूर्ति' योजना ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत उद्यमों को वित्तीय सहायता तथा आधुनिकीकरण की सुविधाएं देकर पुनजीर्वित करने का कार्य कर रही है। इससे आजीविका और रोज़गार के अवसर बढ़ने के साथ परम्परागत कारीगरों की आमदनी में सार्थक सुधार हो रहा है। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा कृषि/ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ऋण सब्सिडी/प्रशिक्षण संबंधी अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं, जैसे 'आइडिया इनिशियेटिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन्ट्रपैन्योर्स, 'मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफार्मेशन नेटवर्क, ग्रामीण भंडारण योजना, 'स्मॉल फार्मर्स एग्री बिज़नेस कंसोर्शियम' और युवा गतिविधियों व प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता।

### नवाचार को बढ़ावा

नवाचार के माध्यम से कृषि उद्यमिता के विकास द्वारा जहां एक ओर आमदनी में वृद्धि और आजीविका में सुधार होता है, वहीं दूसरी ओर कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों की अनेक समस्याओं का समाधान भी प्राप्त होता है। इस संदर्भ में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाने वाला 'एग्रीकल्चर ग्रैंड चैलेंज' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस अभिनव पहल में नवाचारी उद्यमियों के समक्ष कुछ चुनौती क्षेत्र रखे जाते हैं, जिसके लिए उन्हें नवाचारी सोच के माध्यम से समाधान प्रस्तुत करने होते हैं। सन् 2017 में आयोजित पहले 'ग्रैंड चैलेंज' में 12 समस्याओं या चुनौती क्षेत्रों के लिए नवाचारी समाधान आमंत्रित किए गए थे। इनमें मृदा की सटीक जांच से लेकर ई–बाज़ार, उपज अनुमान, खाद्य उत्पादों में मिलावट की जांच और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय आदि शामिल थे। कई हज़ार समाधान प्रस्तावों के कड़े मूल्यांकन के बाद 24 नवाचारों को स्टार्टअप विकास के लिए चुना गया। प्रत्येक चुनौती के लिए दो नवाचार चुने गए–एक 'आइडिया स्टेज' के लिए और दूसरा 'रेडी मार्केट स्टेज' के लिए। पहले वर्ग के चयनित स्टार्टअप्स को विचार से लेकर प्रोटोटाइप बनाने तक की प्रक्रिया में सहायता दी गई, जबकि दूसरे वर्ग में चुने गए स्टार्टअप्स को उत्पाद/सेवा को बाज़ार तक पहुंच बनाने में आवश्यक समर्थन दिया गया। कृषि के क्षेत्र में इस पहल की सफलता से उत्साहित होकर पशुपालन और डेयरी विभाग ने भी पशुपालन ग्रैंड चैलेंज की शुरुआत की

है; और मात्स्यिकी विभाग ने **फ़िशरीज़ एंड एक्वाकल्चर ग्रैंड चैलेंज** शुरू किया है। स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से संचालित इन योजनाओं द्वारा कृषि स्टार्टअप्स को विशिष्ट समस्याओं पर काम करने के लिए एक नई दिशा मिली है। इस संदर्भ में सबसे नई पहल प्याज–ग्रैंड चैलेंज है, जिसके अंतर्गत प्याज के भंडारण, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन से जुड़े पहलुओं पर नवाचारी समाधान आमंत्रित किए गए हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को प्याज की कीमत में आने वाले भारी उतार–चढ़ाव से सुरक्षित रखना है।

आईसीएआर की हैदराबाद स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट (नार्म) ने भारत सरकार के अनेक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों के सहयोग से एक विशेष टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर का गठन किया है। इसे ए–आइडिया यानी 'एसोसिएशन फॉर इनोवेशन डेवलपमेंट ऑफ एन्ट्रप्रिन्योरशिप इन एग्रीकल्चर' का नाम दिया गया है। अपने नाम के अनुरूप इस संस्था द्वारा कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में नवाचारी विचारों वाले उद्यमियों को क्षमता विकास, तकनीकी मार्गदर्शन, बिज़नेस नेटवर्किंग, निवेश सहायता आदि के माध्यम से अपने स्टार्टअप को व्यावसायिक रूप से सफल बनाने के लिए सहायता दी जाती है। संभावित उद्यमियों को अनेक भौतिक सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं, जैसे काम करने की जगह, प्रयोगशाला/पायलट प्लांट/परीक्षण सुविधा, बैठक/सम्मेलन कक्ष, कार्यालय के लिए जगह, टेक्नो पार्क आदि। वर्ष 2014 से कार्यरत ए–आइडिया द्वारा अब तक 2800 से अधिक स्टार्टअप्स को सहायता दी जा चुकी है, जबकि 310 से अधिक स्टार्टअप्स को 'इनक्यूबेट' करके व्यवसाय/उद्यम के लिए तैयार किया जा चुका है। संस्था ने स्टार्टअप्स के विकास के लिए 139 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश भी जुटाया है। 'ए–आइडिया' द्वारा वर्ष 2015 से 'एग्री उड़ान' नामक एक 'ऐक्सीलेटर' कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 'स्केल अप' अवस्था के खाद्य एवं कृषि व्यवसाय स्टार्टअप्स को चुनकर व्यावसायिक अवस्था के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए स्टार्टअप्स के तकनीकी व आर्थिक सशक्तीकरण हेतु आवश्यक सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिसमें सेवा/उत्पाद की बाज़ार तक पहुँच बनाना भी सम्मिलित है। 'एग्री उड़ान' में भागीदारी कर इसका लाभ उठाने के लिए समय–समय पर स्टार्टअप्स से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और तकनीकी मूल्यांकन कर उपयुक्त स्टार्टअप्स को चुना जाता है। अब तक चार 'एग्री–उड़ान' कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित किया जा चुका है और पाँचवें के लिए आमंत्रण चयन प्रक्रिया जारी है।

हैदराबाद स्थित अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान 'इक्रीसैट' (इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी–एरिड ट्रॉपिक्स) द्वारा वर्ष 2003 में देश में पहला एग्री–बिजनेस इनक्यूबेटर भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसके अंतर्गत कृषि तकनीकों और डिजिटल तकनीकों पर आधारित स्टार्टअप्स और उद्यमों को बाज़ार में स्थापित करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। अब तक 5,000 से अधिक युवाओं को कृषि व्यवयाय, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण तथा अन्य संबंधित पहलुओं में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए 'इक्रीसैट' ने अनेक सरकारी संस्थानों, निवेशकों और सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर एक नेटवर्क विकसित किया है, जिसके माध्यम से स्टार्टअप्स की 'एंड टु एंड' सहायता की जाती है। इसके अलावा, इनक्यूबेटर द्वारा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को भी व्यवसाय संचालन व प्रबंधन में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि वे इसे अधिक लाभदायक बना सकें। कृषि उद्यमिता के विकास में अपने विशिष्ट योगदान के लिए इस इनक्यूबेटर को हाल में भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत व सम्मानित किया गया है।

कृषि एव संबद्ध क्षेत्रों में स्नातक की शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को उद्यमिता की ओर आकर्षित करने और इसके लिए आवश्यक कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा **'स्टुडेंट रेडी'** नामक एक विशेष अध्ययन कार्यक्रम चलाया जाता है। इसे कृषि स्नातकों के चौथे वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसमें छात्रों को उनकी पसंद के कृषि उद्यम में 'हैंड्स–ऑन–ट्रेनिंग' प्रदान कर कुशल बनाया जाता है। साथ ही, छात्रों को ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है और आवश्यकता के अनुसार संबंधित उद्योग/संस्थान में इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाती है। स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद स्वरोज़गार के इच्छुक छात्रों के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है, जबकि

शेष छात्र संबंधित उद्यमों में रोज़गार प्राप्त कर अपनी आजीविका अर्जित करते हैं।

इन दोनों ही दशाओं में कृषि उद्यमिता के विकास को बढ़ावा मिलता है। देश के अनेक कृषि अनुसंधान संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में ग्रामीण युवाओं, महिलाओं, किसानों और कृषक समूहों को उद्यमिता का तकनीकी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। अनेक राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में छात्रों के मार्गदर्शन और सहायता के लिए उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा ज़िला स्तर पर गठित **कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी** (आत्मा) द्वारा कृषक समूहों को प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से उद्यमिता की ओर उन्मुख किया जाता है। केंद्र सरकार के अलावा अनेक राज्यों की सरकारें भी कृषि उद्यमिता के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिनमें राज्य विशिष्ट उद्यमों को बढ़ावा दिया जाता है।

अनेक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीनी–स्तर पर उद्यमिता के विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन सभी प्रयासों और उपायों के स्वाभाविक एकीकरण से देश में कृषि उद्यमिता की एक लहर चल पड़ी है, जिसके सार्थक प्रभाव भी दिखाई देने लगे हैं। परंतु अभी एक लंबा सफर तय करना बाकी है, क्योंकि अनेक चुनौतियां भी मौजूद हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के प्रयासों के बावजूद अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन, संचार, बिजली, मार्केटिंग नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाई हैं। पर्याप्त शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण ग्रामीण युवा और किसान उद्यमिता के विकास से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं का पूरा लाभ उठाने में अक्सर चूक जाते हैं। विभिन्न कृषि उत्पादों की मार्केटिंग की सुविधा बढ़ाने की दिशा में भी अभी सुधार कार्य बाकी हैं।

उद्यमों के लिए आसान ऋण के लिए अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं, परंतु इससे संबंधित कागज़ी कार्रवाई को लेकर अक्सर चुनौतियां पेश आती हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सामाजिक स्तर पर अभी भी उद्यमी संस्कृति का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। ग्रामीण युवा और उनके परिवार अंतर्निहित जोखिम के कारण उद्यमिता को अपनाने में संकोच करते हैं। इन सभी चुनौतियों के प्रति सकारात्मक रूख रखते हुए कृषि उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारतीय कृषि के व्यापक परिदृश्य में कृषि उद्यमिता एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए तैयार है।

**(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में प्रधान संपादक रह चुके हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)**

**ईमेलः jagdeepsaxena@yahoo.com**